संशोधन

संख्या- 119 /2026 / 1004 /चार-2026-2035951

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026**

विषयः- जनपद-गाजीपुर के जखनिया विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सभा-धामपुर शहीद वीर अब्दुल हमीद का सुन्दरीकरण व सुदृढीकरण कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-108/2026/235/चार-2026-2035951 दिनांक 27 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 108/2026/235/चार-2026-2035951 दिनांक 27 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 108/2026/ 235/चार-2026-2035951 दिनांक 27 मार्च, 2026 के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त निर्गत शासनादेश में **पार्क का सुन्दरीकरण व सुदृढीकरण कार्य** अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में शासनादेश संख्या-108/2026/235/चार-2026-2035951 दिनांक 27 मार्च, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2026 में **विषय**, **प्रस्तर-1 व प्रस्तर- 2** में अंकित ''पार्क का सुन्दरीकरण व सुदृढीकरण कार्य'' **के स्थान पर** '' स्वतंत्रता के पश्चात् युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य'' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या-108/2026/ 235/चार-2026-2035951 दिनांक 27 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी-गाजीपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in